

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 08-06-18

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
जमानत आवेदन क्रमांक : 182/2018

ज्ञान सिंह पुत्र रामदीन जाटव आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम मिश्रीपुरा मजरा जमदारा, थाना
मौ जिला भिण्ड (म.प्र.) — आवेदक
बनाम

पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड(म.प्र.)—अनावेदक

08.06.18

आवेदक ज्ञान सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री अरविन्द शर्मा उपस्थित।
राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस.बघेल उपस्थित।
पुलिस थाना मौ से अपराध क्रमांक 303/15 अंतर्गत धारा
420,467,468 भा.दं.सं. की केस डायरी मय कैफियत प्रस्तुत। अवलोकन
किया गया।

आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भतीजे
सुरेन्द्र जाटव का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र एवं
शपथपत्र में यह बताया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत
आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र है, अन्य आवेदनपत्र समक्ष
न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया,
और न ही विचाराधीन है। खण्डन के अभाव में उक्त तथ्य सत्य मान्य
किया जाता है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसके विरुद्ध
असत्य आधारों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवेदक निर्दोष है
उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में
विलंब लगने की संभावना है। सह अभियुक्त अतेंद्र सिंह की नियमित
जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के
एमसीआरसी क्रमांक 8783/2018 आदेश दिनांक 22.03.18 को हो चुकी
है। अतः समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा किए
जाने की प्रार्थना की गयी है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
एमसीआरसी क्रमांक 8783/2018 आदेश दिनांक 22.03.18 में पारित
आदेश की प्रति नेट से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल
द्वारा मौखिक रूप से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त
किए जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) गोहद जिला भिण्ड द्वारा मामले में जांच उपरांत दिये
गये प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार दुर्गसिंह मौर्य, पटवारी हरगोविन्द
सहित विक्रेता/केतागण वीरेन्द्र, श्रीमती रामवती, सीताराम, विद्याराम,
अतेंद्र सिंह, ध्यानेन्द्रसिंह एवं आवेदक ज्ञानसिंह के द्वारा आपसी षड्यंत्र
कर शासकीय चरनाई भूमि सर्वे क्रमांक 1569 व 522 की भूमियों के

संबंध में राजस्व रिकार्ड में असत्य एवं फर्जी प्रविष्टि कराते हुए बिना किसी वैध स्वत्व व अधिकार के फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्रों का निष्पादन कराये जाने एवं नामान्तरण कराये जाने के कारण आरक्षी केन्द्र मौ में आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 303/15 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया।

मामले में सह-अभियुक्त अतेन्द्र सिंह की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी क्रमांक 8783/2018 आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में हो चुकी है, जिसके द्वारा भूमि कय की गई थी जबकि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वर्तमान मामले में सह अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र कर शासकीय चरनोई भूमि के संबंध में फर्जी एवं कूटरचित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया है। खसरा वर्ष 2017-2018 हल्का जमदारा तहसील मौ के भूमि सर्वे क्रमांक 1569 में उक्त भूमि चरनोई होकर शासकीय दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त विक्रेता है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में नियमित जमानत पर स्वतंत्र अतेन्द्रसिंह क्रेता है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त एवं जमानत पर स्वतंत्र अभियुक्त अतेन्द्र सिंह का मामला समान न होकर भिन्न है।

अतः समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त ज्ञान सिंह को नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त ज्ञान सिंह की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे।

इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

सही / -

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद, जिला भिण्ड,